प्रेस नोट दिनांक 09.10.2025

Olx के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के द्वारा फ्रॉंड की गयी धनराशि 6,00000(छः लाख) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए ओएलएक्स के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के द्वारा फ्रॉंड की गयी धनराशि 6,00000 (छः लाख रुपये) पीडित सफीउल्लाह पुत्र सनाउल्लाह निवासी जमालपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, आवेदक के कुल धनराशि 6,00000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

अपराध का तरीका-

आवेदक ने ओएलएक्स के माध्यम से एक कार (अर्टिका) की बिक्री के सम्बन्ध मे विज्ञापन देखा तथा उक्त कार को खरीदने हेतु वाहन स्वामी से जरिये दूरभाष सम्पर्क करने के उपरान्त वाहन स्वामी के बताये गये पते पर पहुंचा। वाहन स्वामी तथा आवेदक के मध्य उक्त कार के क्रय-विक्रय हेतु 600,000/- रुपये की धनराशी निर्धारित किया गया तथा आवेदक के द्वारा वाहन स्वामी के बताये गये खाता पर 600,000/- रुपये की धनराशी का भुगतान कर दिया गया। आवेदक ने जब उक्त भुगतान के सम्बन्ध मे वाहन स्वामी से वार्ता किया तो वाहन स्वामी ने पैसे अपने खाते में आने की बात से इंकार कर दिया तथा फोन नम्बर भी बन्द कर लिया । जाँच के क्रम मे ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति उपरोक्त वाहन का स्वामी न होकर साइबर अपराधी है, जो इसी प्रकार से फर्जी वाहन बिक्री का विज्ञापन दिखाकर लोगो के साथ फ्राड करता है ।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 कमलकांत वर्मा
2. 2.उ0नि0 मंजेश गौड़
3. 3.क0आ0 संजय गुप्ता
4. 2.म0आ0 प्रिया सिंह
5. 3.म0आ0 शालिनी मौर्या समस्त पुलिस बल थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ

मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अन्र्तगत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्र्तगत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह नेतृत्व में दिनांक 09.10.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भदसामानोपुर तिरहा के पास से मु0अ0स0 0294/25 धारा 69, 351(3),बीएनएस में वाछित अभियुक्त तारिक अजहर पुत्र रफीउल्लाह नि0 भदसामानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 294/25 धारा 69, 351(3), बीएनएस थाना हलधरपुर जनपद मऊ ।

अभियुक्त का नाम पता –

1. तारिक अजहर पुत्र रफीउल्लाह नि0 भदसामानोपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ

मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अन्र्तगत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्र्तगत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा

अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय सिंह नेतृत्व में दिनांक 09.10.2025 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/ चेकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 315/25 धारा 64(1), 352, 351(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट में वाछित बाल अपचारी संदीप कुमार चौहान पुत्र फिरंगी चौहान निवासी ग्राम अजीजपुर खड़सरा थाना रसड़ा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 315/25 धारा 64(1), 352, 351(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना हलधरपुर जनपद मऊ ।

बाल अपचारी का नाम पता –

1. संदीप कुमार चौहान पुत्र फिरंगी चौहान निवासी ग्राम अजीजपुर खड़सरा थाना रसड़ा जनपद बलिया

यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी धनराशि 20000 (बीस हजार) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी धनराशि 20000 (बीस हजार रुपये) पीडित राम प्रकाश पुत्र देबी प्रसाद निवासी बड़ागांव थाना सरायलखंसी जनपद मऊ आवेदक की कुल धनराशि 20000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 पंकज पाण्डेय
2. नोडल उ0नि0 नयन वर्णवाल
3. म0उ0नि0 कोमल कसौधन
4. क0 आ0 आशीष द्विवेदी
5. म0का0 शिखा तिवारी
6. का0 धर्मेन्द्र पुष्पाकर

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को न्यायलय उठने तक की सजा एवं ₹1500 के अर्थ दण्ड से हुआ दंण्डित –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय सीजेजेडी/एफटीसी/सीएडब्ल्यू कोर्ट, जनपद मऊद्वारा दिनांक 09-10.2025 को मु0अ0सं0 69/2002 धारा 354, 323 भादवी थाना कोपागंज जनपद मऊ में दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मराज सिंह पुत्र जगरनाथ सिंह निवासी इन्दारा प0 चट्टी थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायलय उठने तक की सजा एवं ₹1500 के अर्थ दण्ड दंण्डित किया गया

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व ₹50,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 09-10-2025 को मु0अ0सं0 सी-18/2003 धारा 420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना घोसी मे दोषसिद्ध अभियुक्त रामप्यारे पुत्र रामदेव निवासी भिखारीपुर थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹50,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया,

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह , प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी विनोद का सराहनीय योगदान रहा।